साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

वर्ष : 10, अंक : 12 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 6 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

सार्वभौमिक नहीं हो सकते सामुदायिक और संरक्षण रिजर्वों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 24 अक्टूबर, 2024 को कहा है कि संरक्षण और सामुदायिक रिजर्वों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के लिए सार्वभौमिक दिशा-निर्देश निर्धारित करना उचित नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि, भारत सरकार ने पहले ही दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं, ऐसे में राज्य सरकारें मामले को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय ले सकती हैं कि किसी विशेष संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व में क्या प्रतिबंध लागू किए जाएं।

गौरतलब है कि 14 फरवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श करने को कहा था कि क्या संरक्षण और सामुदायिक रिजर्वों के दस किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं। इस मामले में भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसे आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है। इस हलफनामे के साथ सुधीर चिंतलपति द्वारा शपथ-पत्र भी दिया गया है। हलफनामे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बैठक में हुए विचार-विमर्श का भी जिक्र किया गया। चार सितंबर, 2024 को हुई इस बैठक के नोट्स आधिकारिक रिकॉर्ड में जोड़े गए हैं। बैठक के नोट्स से पता चलता है कि इसमें शामिल प्रतिभागियों ने संरक्षण और सामुदायिक रिजर्वों के भीतर सख्त नियमों को लागू करने को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, जहां तक संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व का सवाल है, इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बेहद मायने रखती है। ऐसे में अगर स्थानीय आबादी इन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए प्रेरित नहीं होती, तब तक ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व घोषित करना संभव नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हलफनामे से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई राज्य सरकारों ने किसी भी संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व को अधिसूचित नहीं किया है। ये आदेश पांच नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, जहां तक संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व का सवाल है, इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी बेहद मायने रखती है। ऐसे में अगर स्थानीय आबादी इन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए प्रेरित नहीं होती, तब तक ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व घोषित करना संभव नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हलफनामे से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई राज्य सरकारों ने किसी भी संरक्षण या सामुदायिक रिजर्व को अधिसूचित नहीं किया है। ये आदेश पांच नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं केरल में इलायची की खेती से संबंधित एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2024 को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक केरल सरकार को इलायची की खेती के लिए कोई नया पट्टा आवंटित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को कार्डामम हिल्स रिजर्व (सीएचआर) में और अधिक भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

30 फीसदी तक सूख जाएंगे पानी वाले आवास, मेंढकों और टोडों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा-अध्ययन

बिहार ।शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी वाले आवासों के सूखने के कारण आने वाले सालों में मेंढक और टोड जैसे एनुरान को अपने अस्तित्व के लिए भारी खतरों का सामना करना पड़ेगा। नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध में, टीम ने बताया कि कैसे उन्होंने दुनिया भर के इलाकों का मानचित्रण किया, जहां पानी की कमी के कारण अगले 60 से 80 सालों में एनुरान प्रजातियों पर संकट के बादल छा जाएंगे और इनके मरने का खतरा बढ़ जाएगा।

पिछले कई सालों से, दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। कई मॉडल अब इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से, जैसा कि कई लोगों ने देखा है, ग्रह के चारों ओर जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव होंगे। साल 2100 तक मेंढक और टोड के मौजूदा आवासों में से सात से 30 फीसदी तक सूख जाएंगे, फिर वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इस नए प्रयास पर काम करने वाली टीम ने बताया कि ऐसा ही एक बदलाव उन आवासों में पानी की कमी होगी, जहां वर्तमान में एनुरान रहते हैं। ऐसे इलाकों में पानी की कमी से कुछ आवासों के आकार घट जायेंगे और अन्य गायब हो जाएंगे। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से बताया कि ऐसे बदलाव एनुरान के लिए जीवन को और भी कठिन बना देंगे, जो पहले से ही जंगलों के काटे जाने, फंगल प्रकोप, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस नए अध्ययन में शोध टीम ने यह अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि वर्तमान में मेंढक और टोड जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं।

नवंबर में भी तप रहे हैं हिमाचल के पहाड़, सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक चल रहा तापमान

शिमला। मौसम की बेरूखी का असर हिमाचल में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। सर्दी के मौसम में पहाड़ तप रहे हैं और गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। नवंबर माह में जहां हिमाचल की सर्द वादियों में कई स्थानों में पारा शून्य से नीचे चल रहा होता था, वहीं इन दिनों हिमाचल में अधिकतम तापमान 24 से 29 डिग्री बना हुआ है, जो सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 7-11 डिग्री सेल्सीयस है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री अधिक है। मौमस विभाग के अनुसार प्रदेश के सोलन में 39, कांगड़ा में 27.6, भूंतर 30.5 और उना में तापमान आल टाइम हाई दर्ज किया गया है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र कल्पा में 1984 के बाद सबसे अधिक तापमान 23.6 डिग्री है। इसके अलावा प्रदेश में 123 वर्षों में तीसरी बार अक्टूबर माह शुष्क रहा है। अक्टूबर माह में सामान्य से 97 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। सामान्य परिस्थितियों में अक्टूबर माह में 25 एमएम तक बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन इस वर्ष अक्टूबर में महज 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1964 में 0.1 और 2003 में 0.3 एमएम बारिश दर्ज हुई थी। पूरे अक्टूबर माह में प्रदेश के छह जिलों चंबा, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और कुल्लू जिलों में तापमान पूरी तरह से शूष्क बना हुआ है और इन जिलों में बिल्कुल भी बारिश दर्ज नहीं हुई है । मौसम के गर्म बने होने और बारिश न होने के कारण प्रदेश के बागवानी और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मौसम के गर्म होने की वजह से जहां प्रदेश के अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में सेब समेत अन्य फलों का तुड़ान 15 से 20 दिन पहले हो गया है। इसके अलावा इन दिनों मौसम के शुष्क और बारिश न होने की वजह से रबी सीजन में गेहूं, मटर, सरसों, चना और अन्य फसलों की बोआई पर भी असर देखने को मिल रहा है। प्रधान वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्र डॉ मनोज गुप्ता ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बारिश न होने और मौसम के गर्म होने की वजह से फसलों की बोआई समय पर नहीं हो पा रही है। जिसका असर पैदावार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मौसम के गर्म होने की वजह से बागवानी क्षेत्र में भी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञानी शोभित कटियार का कहना है पिछले लंबे समय से पश्चिमी विक्षोभ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है और यहां के तापमान में सामान्य में भी सामान्य के मुकाबले वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी 7 नवंबर तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा और 8 नवंबर के बाद तापमान में हल्की गिरावट होगी और 12 नवंबर के बाद चंबा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिला में हल्की बारिश हो सकती है।

सोन नदी में चल रहा अवैध खनन का कारोबार, एनजीटी ने समिति को दिए जांच के आदेश

नासरीगंज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। मामला बिहार में सोन नदी में चल रहे अवैध रेत खनन के कारोबार से जुड़ा है। चार नवंबर, 2024 को दिए आदेश के मुताबिक इस समिति में रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगें। अदालत ने इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं।

कोर्ट के निर्देशानुसार यह समिति सम्बंधित क्षेत्र का दौरा करेगी, जानकारी जुटाएगी और छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर, 2024 को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में रोहतास जिले के सासाराम निवासी रंजन सिंह ने एनजीटी में आवेदन दायर किया था। इस आवेदन में उन्होंने सोन नदी पर अवैध बालू खनन की शिकायत की थी। आरोप है कि खननकर्ता नासरीगंज से तिलाथु तक अवैध रूप से बांध (बंध) बना रहे हैं। इसकी वजह से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया है। यह भी आरोप है कि इस अवैध गतिविधि के चलते नदी में रहने वाले पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है। वसिष्ठ नदी के आसपास डंप किए जा रहे कचरे की जांच के लिए समिति गठित, नरसापुर नगरपालिका पर लगे हैं आरोप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चार नवंबर, 2024 को कचरा डंपिंग से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के आदेश दिए हैं। मामला नरसापुर नगरपालिका द्वारा वसिष्ठ नदी और उसके बाढ़ तटबंध पर कचरा फेंकने से जुड़ा है।

समिति में पश्चिम गोदावरी के जिला मजिस्ट्रेट, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एससीजेडएमए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारी शामिल होंगे। समिति को साइट का दौरा करने के साथ-साथ प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यह समिति अगले दो महीनों के भीतर चेन्नई में एनजीटी की दक्षिणी बेंच के रजिस्ट्रार के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि इस मामले में आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी के नरसापुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र फणीकर ओसुरी की ओर से 18 दिसंबर, 2023 को एक पत्र याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि नरसापुर नगर पालिका कई वर्षों से वसिष्ठ नदी और उसके बाढ़ तट पर कचरा डंप कर रही है। इस तरह नगर पालिका न केवल तटीय क्षेत्रों के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन कर रही है। साथ ही 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का भी पालन नहीं कर रही है। अदालत को जानकारी दी गई है कि शिकायतकर्ता ने सीपीसीबी से संपर्क किया था। इसके बाद सीपीसीबी द्वारा 29 सितंबर, 2023 को आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीएसपीसीबी) के सदस्य सचिव को एक पत्र भेजकर उन्हें 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

जल गुणवत्ता मानकों पर खरा है गंगा जल–सीपीसीबी

हरिद्वार। उत्तराखंड में गंगा जल नहाने योग्य पानी के लिए निर्धारित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों पर खरा है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने चार नवंबर 2024 को अदालत में दाखिल अपनी रिपोर्ट में दी है। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच दर्ज आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान पानी में घुली ऑक्सीजन (डीओ), पीएच, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) और फीकल स्ट्रेप्टोकोकी (एफएस) का स्तर तय मानकों के अनुरूप था।

रिपोर्ट के मुताबिक सीपीसीबी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) के साथ मिलकर 2023 में मानसून के बाद से उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों (अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी) में सीधे गिरने वाले 176 नालों की निगरानी कर रहा है। इनमें रामगंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे सुसवा, सोंग, बाणगंगा और सुखी में मिलने वाले 25 नाले भी शामिल हैं। इन नालों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के साथ-साथ घरों से निकलने वाला दूषित पानी भी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी किए गए 176 नालों में से 113 नालों को अलग-अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जोड़ा गया है। हालांकि सोंग नदी में गिरने वाले रिस्पना नाले में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का स्तर काफी अधिक था। इस नाले में रोजाना 755.56 मिलियन लीटर (एमएलडी) पानी बहता है और बीओडी का स्तर 32 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वहीं जब बात उत्तराखंड में गंगा किनारे बसे शहरों में सीवेज प्रबंधन की स्थिति की आती है, तो रिपोर्ट से पता चला है कि 19 शहरों में 53 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। सीपीसीबी द्वारा अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच की गई निगरानी के मुताबिक इनमें से 50 संयंत्र चालू पाए गए, जबकि तीन काम नहीं कर रहे थे। इन 53 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से दो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 30 अप्रैल, 2019 के आदेश पर निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे थे, जबकि 48 उन मानकों पर खरे नहीं थे। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा 13 अक्टूबर, 2017 को घोषित ट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज मानकों के लिहाज से देखें तो नौ प्लांट इन मानकों का पालन कर रहे थे, जबकि 41 एसटीपी इनपर खरे नहीं थे। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उत्तर प्रदेश में गंगा की जल गुणवत्ता को लेकर 22 अक्टूबर, 2024 को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की थी। इसके अनुसार 2024 के जल गुणवत्ता आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गंगा का अधिकांश हिस्सा नहाने योग्य पानी के लिए निर्धारित बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ क्षेत्र इन मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं हैं, इनमें फर्रुखाबाद से पुराना राजापुर तक और कन्नौज से कानपुर में गंगा पुराना राजापुर तक का हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे 16 शहरों में 41 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं। अप्रैल से जुलाई 2024 तक की गई सीपीसीबी की निगरानी के अनुसार, इनमें से 35 एसटीपी काम कर रहे हैं, जबकि छह चालू नहीं थे। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सात अगस्त, 2024 को एनजीटी के समक्ष दायर अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि गंगा नदी बेसिन के अधिकांश हिस्सों में जल गुणवत्ता नहाने योग्य पानी के लिए तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं है। वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दस अक्टूबर 2024 को एनजीटी में सौंपी अपनी जल गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि गंगा की जल गुणवत्ता पीएच, घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), और बीओडी के मानकों को तो पूरा करती है। हालांकि, वो स्नान के लिए सुरक्षित आवश्यक बैक्टीरियोलॉजिकल मानकों जैसे टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म पर खरी नहीं है।

पावना नदी में छोड़ा जा रहा दूषित पानी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हलफनामे में की पुष्टि

मुंबई। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने 29 अक्टूबर, 2024 को अपना जवाबी हलफनामा अदालत में दाखिल किया है। इस हलफनामे के मुताबिक पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) क्षेत्र में नालों के जरिए दूषित सीवेज और पानी पावना में छोड़ा जा रहा है।

मामला शहरीकरण, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और औद्योगिक विकास के चलते पावना नदी में हो रहे प्रदूषण से जुड़ा है। यह नदी महाराष्ट्र के पुणे में है। हलफनामे के मुताबिक रावेट से दापोडी गांव तक नदी प्रदूषण से त्रस्त है। यह सभी इलाके पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह नदी पीसीएमसी में रावेट, चिंचवाड़, थेरगांव, पिंपरी, कासरवाड़ी, सांगवी और दापोडी से होकर बहती है। हलफनामे के मुताबिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत हर महीने पवना नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। वे तालेगांव, रावेट, चिंचवाड़, पिंपरी, कासरवाड़ी, सांगवी और दापोडी सहित विभिन्न स्थानों पर पानी की जांच करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सांगवीगांव से दापोडी तक पावना नदी खंड को प्रदूषण के लिए प्राथमिकता द्ढ्ढ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साझा की गई जानकारी के मुताबिक पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने पावना नदी जलग्रहण क्षेत्र में 26 करोड़ लीटर प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले नौ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं। यह प्लांट हर दिन 218.18 मिलियन लीटर सीवेज का उपचार कर रहे हैं। वहीं कुल 23 एमएलडी क्षमता वाले तीन अतिरिक्त एसटीपी मौजूदा समय में निर्माणाधीन हैं। पीसीएमसी ने 2041 तक बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए 60 एमएलडी की कुल क्षमता वाले तीन और एसटीपी स्थापित करने की भी योजना बनाई है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करता है। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, साफ किए जाने के बाद भी पानी में बीओडी, सीओडी, निलंबित ठोस और डिटर्जेंट का स्तर स्वीकृत सीमा से अधिक है, जिसका अर्थ है कि पावना में छोड़ा जा रहा पानी आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है।

जलवायु परिवर्तन से भारत को साल 2070 तक हो सकता है जीडीपी में 25 फीसदी का नुकसान- एडीबी रिपोर्ट

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के द्वारा जारी एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट-2024% के अनुसार, भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन से 2070 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16.9 फीसदी का नुकसान हो सकता है, जबकि भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 24.7 फीसदी तक के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते स्तर और घटती श्रम उत्पादकता नुकसान के सबसे बड़े कारण बनेंगे, जिसमें निम्न आय और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

रिपोर्ट में क्षेत्र को खतरे में डालने वाले कई हानिकारक प्रभावो के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि जलवायु संकट में तेजी जारी रही, तो क्षेत्र में 30 करोड़ लोग तटीय बाढ़ के खतरे में पड़ सकते हैं और 2070 तक हर साल खरबों डॉलर की तटीय संपत्ति का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के हवाले से एडीबी के अध्यक्ष मासात्सुगु असकावा ने कहा, जलवायु परिवर्तन ने क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफानों, गर्म हवाओं और बाढ़ से होने वाली तबाही को और बढ़ा दिया है, जिससे आर्थिक चुनौतियां और मानवीय समस्याएं पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल, अच्छी तरह से समन्वित जलवायु कार्रवाई की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने कहा कि यह जलवायु रिपोर्ट तत्काल अनुकूलन की जरूरतों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी प्रदान करती है और हमारे विकासशील सदस्य देशों में सरकारों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम लागत पर कम करने के तरीके के बारे में नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है। साल 2070 तक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कुल 16.9 फीसदी नुकसान पहुंचा सकता है। अधिकांश क्षेत्र 20 फीसदी से अधिक का सामना करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील एशिया ने 2000 के बाद से दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में अधिकांश वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जबकि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 20वीं शताब्दी में प्रमुख जीएचजी उत्सर्जक थीं, 21वीं सदी के पहले दो दशकों में एशिया से उत्सर्जन किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है। इसके कारण दुनिया भर में उत्सर्जन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 2000 में 29.4 फीसदी से बढ़कर 2021 में 45.9 फीसदी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया से उत्सर्जन में लगातार वृद्धि जारी है, जिसके लिए अधिकतर चीन जिम्मेवार है, जिसने 2021 में दुनिया भर में उत्सर्जन में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी वैश्विक औसत से नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीव्र और बारिश में अत्यधिक बदलाव, साथ ही साथ बढ़ते हुए चरम तूफानों के कारण इस क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं अधिक होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत और चीन के एक दूसरे से सटे इलाकों, जैसे पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट होगा, जहां औसत वैश्विक तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के तहत भूस्खलन में 30 से-70 फीसदी तक की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में तापमान वृद्धि के अनुकूल होने के लिए क्षेत्रीय देशों को हर साल 102 अरब डॉलर से 431 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। यह 2021 से 2022 तक क्षेत्र में ट्रैक किए गए अनुकूलन वित्त के 34 अरब डॉलर से कहीं अधिक है। सरकारी विनियमन सुधार और जलवायु से होने वाले खतरों की पहचान निजी जलवायु पूंजी के नए स्रोतों को आकर्षित करने में मदद कर रही है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के मोर्चे पर, रिपोर्ट से पता चलता है कि क्षेत्र कुल शून्य कार्बन हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा को अपनाने को लेकर अच्छी स्थिति में है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के साथ आगे बढ़ने से जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को किफायती ढंग से हासिल करने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया के साथियों के साथ मनाया दीपोत्सव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकार बंधुओं से निवास परिसर में भेंट कर उन्हें दीपावली पर्व की मंगलकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संपादक, संवाददाता, रिपोर्टर आदि को दीपावली मिलन के लिए निवास पर आमंत्रित कर मंगलकामनाओं का आदान-प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा सुमधुर धुनों की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस बैण्ड के सभी सदस्यों को 11-11 हजार रुपये देने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में हो रही प्रगति पर केन्द्रित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पारम्परिक रूप से सुसज्जित कार्यक्रम स्थल पर, राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आमंत्रितों को बधाई देते हुए कहा कि सबके जीवन में शुभता, समृद्धि और सौभाग्य के दिव्य दीप सदैव प्रज्ज्वलित रहें, यही कामना है। पत्रकार बंधुओं ने भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिलकर दीपोत्सव की शुभकामनाएँ दीं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008